न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 56/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सावरदान उर्फ विरददान पुत्र गणेशदानजी		1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर, जालोर
2. खेतदान पुत्र गणेशदान जातिगण चारण निवासीगण आंबातरी तहसील भीनमाल जिला जालोर		2. तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री त्रिलोकचन्द, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/2/19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर, जसवन्तपुरा मु0 भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2014 सावरदान वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का वक्त जागीरी से कब्जा काश्त हैं। इस भूमि के चारों तरफ अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि आई हुई स्थित है तथा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि एवं जैर अपील विवादित आराजी एक ही चक में स्थित हैं। भू–प्रबन्ध द्वारा उक्त आराजी अपीलाण्ट की खतोदारी दर्ज न कर विधि विरूद्ध रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट्स को जैर अपील विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसमें विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा स्वीकार किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई थी, उन्हे अपीलाण्ट द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज़ कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है, उनका रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए माफिक अनुतोष अपील डिक्री करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलाण्ट बतौर अतिक्रमी काबिज काश्त होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती रही है। अपीलाण्ट अतिक्रमी होने के कारण किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इन्ही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बागोडा के खसरा नम्बर 109 के नये खसरा नम्बर 140 रकबा 1.59 हैक्टेयर की भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित कुल 5 तनकीयात कायम की गई। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद का मुख्य आधार जैर अपील विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार घोषित कराने का निवेदन किया। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था।" इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाये जाने की अत्यावश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटीपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। इसी प्रकार हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण संख्या/अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा (अशोक राव बनाम अमृतलाल), अपील/टीए/गंगानगर/5160/2004 (रामी बनाम विद्यादेवी), अपील/टीए/ गंगानगर/5161/2004 (रामी बनाम रामप्रताप) एवं अपील/टीए/कोटा/2780/2009 (रतना बनाम रामनाथ) में दिनांक 30.08.2018 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को दोषपूर्ण मानते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय को विधि में संशोधन हेतु यथोचित कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर, जसवन्तपुरा मु0 भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2014 सावरदान वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2017 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर